न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 26/2017 2017/06201

अनवान :–

श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन, बीकानेर (राजस्थान)

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. श्री दुलाल वेद पुत्र स्व. श्री क्षेमापति वेद,(विक्रेता) मैसर्स गणपति टेस्टी फूड प्रा.लि. एफ. 231–232, औद्योगिक क्षेत्र, खारा, बीकानेर। निवासी–कनकपाडा, लालगढ़ पश्चिम मेडिनीपुर–721516
2. सुशील बागडी (डायरेक्टर निर्माता फर्म), मैसर्स गणपति टेस्टी फूड प्रा.लि. एफ. 231–232, औद्योगिक क्षेत्र, खारा, बीकानेर। निवासी– गोरमेंट प्रेस के सामने, माजिसा की बाड़ी, बीकानेर
3. राजश्री बागडी (डायरेक्टर निर्माता फर्म)मैसर्स गणपति टेस्टी फूड प्रा.लि. एफ. 231–232, औद्योगिक क्षेत्र, खारा, बीकानेर। निवासी– गोरमेंट प्रेस के सामने, माजिसा की बाड़ी, बीकानेर
4. मैसर्स गणपति टेस्टी फूड प्रा.लि. एफ.231–232, औद्योगिक क्षेत्र, खारा, बीकानेर। (निर्माता फर्म)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी सं. 1 – अनुपस्थित
3. अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की ओर से – श्री राजेश कुमार लदरेचा अधिवक्ता

–: निर्णय :– **दिनांक 20.09.2018**

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) ने दिनांक 20.08.2015 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स गणपति टेस्टी फूड प्रा. लि. एफ 231–232, औद्योगिक क्षेत्र, खारा, बीकानेर –विक्रेता श्री दुलाल वेद पुत्र स्व. क्षेमापति वेद के यहां फर्म का निरीक्षण दौरान खाद्य पदार्थ मूंग पापड़(गणपति) 400 ग्राम के कुल 500 पैकेट आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुवे थे। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त मूंग पापड़(गणपति) पैकेट में 4 पैकेट प्रत्येक 400 ग्राम मूंग पापड़ (गणपति) नमूना हेतु संग्रह कर कुल कीमत रू. 320/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री गोपालकृष्ण शर्मा, विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर चार सीलबन्द पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS.2096/Act/ 2015/1369 दिनांक 07.10.2015 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ मूंग पापड़(गणपति) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ मूंग पापड़(गणपति) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

आति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की ओर से श्री राजेश लदरेचा अधिवक्ता ने जवाब एवं वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 1 की हिदायत पैरवी नहीं होने का नोटेड किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित एवं इनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही की गई। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. प्रार्थी श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ मूंग पापड़(गणपति) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Papad (Ganpati) bearing Code No. and Sr. No. J-976 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ मूंग पापड़(गणपति) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि अप्रार्थी कम्पनी के मूंग पापड़ (गणपति) का नमूना संख्या जे–976 मिसब्राण्ड होने का आरोप है, जो गलत है। अप्रार्थी के लेबल को आधार बनाकर कार्यवाही की गई है, जबकि लेबल के अनुसार खाद्य सामग्री पैकेट में थी, खाद्य सामग्री किसी भी प्रकार से दोषपूर्ण नहीं थी, ना ही मानव जीवन को क्षति पहंचाने वाली थी। पैकेट पर लेबल के शब्दों साफ व स्पष्ट नियमानुसार अंकित थे प्रिन्टिंग के दौरान शब्द का फोन्ट आंशकि रूप से छोटा होने की जानकारी मिलते ही सभी पैंकिंग को नष्ट कर दिया गया, लेकिन सैम्पल के रूप में भेजने वाले पैकेट पुरानी प्रिन्टिंग के ही रह गये। बाद में सभी पैकेट पुनः प्रिन्ट करवाकर उत्पादन का विक्रय किया गया। पैकिंग पर फोन्ट के छोटे होने से किसी प्रकार की गम्भीर क्षति उपभोक्ता को नहीं है, जानकारी प्राप्त होते ही फोन्ट में सुधार कर दिया है। अतः उदारतापूर्वक विचार करते हुवे कम्पनी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही को ड्रोप फरमाने के आदेश की कृपा करें। ,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) * बीकानेर *

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये मूंग पापड़ (गणपति) की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गय मूंग पापड़ (गणपति) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक L.S.2096/Act 2015/1369 दिनांक 07.10.2015 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में में The sample of " Papad (Ganpati) bearing Code No. and Sr. No. J-

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

976 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ मूंग पापड़(गणपति) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अनुसार जुर्माने से दण्डनीय है।

6. इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पैक्ड खाद्य पदार्थ मूंग पापड़(गणपति) (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण एवं विक्रय के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 (1) के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत **20,000/-** अखरे रूपये बीस हजार की शास्ति आरोपित की जाती है।

7. अप्रार्थीगण श्री दुलाल वेद,(विक्रेता एवं मालिक) सुशील बागड़ी (डायरेक्टर निर्माता फर्म), राजश्री बागडी(डायरेक्टर निर्माता फर्म) तथा मैसर्स गणपति टेस्टी फूड प्रा.लि. औद्योगिक क्षेत्र. खारा द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री मूंग पापड़ (गणपति) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) विनिर्माण एवं विक्रय किया जिसके लिये वे समान रूप से धारा 26 (2) (II) में दोषी है। अतः आरोपित शास्ति रू. 20000/- अखरे बीस हजार रूपये के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को समान रूप से दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 समान रूप से आरोपित राशि रूप. बीस हजार का 1/4 शास्ति राशि यानि 5,000/-, 5,000/- रूपये प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 शास्ति राशि अदा करेगें।

8. इसके साथ-साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 को रजिस्टर्ड डाक से तथा अप्रार्थी पक्ष संख्या 2 ता 4 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा) बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner